19

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)

...

No.E(NG)I-79/PM1/212 New Delhi, dated 7-11-1979.

The General Managers,
All Indian Railways.

Sub: Promotion of Asstt. Chemist to the post of Chemist in the grade of Rs.425-700(RS),Medical Deptt.

...

Reference Ministry of Railways' letter No.E(NG)I-76/PM1/86 dated 24.2.77 forwarding therewith a copy of Board's letter dated 11.8.76. In the above letter the qualifications for recruitment to the post of Chemist were prescribed as under:-

"B.Sc. with Honours in Chemistry or M.Sc. in Chemistry with atleast one year's training in a recognised Public Health Laboratory. Preference will be given to candidates who have experience in analysing water, sewage, oil, ghee and other food stuffs."

In view of the difficulty being experienced by the Railways to draft persons with above qualifications to man the posts of Chemists, the position has been reviewed in the Ministry of Railways and it has been decided to relax Honours degree in B.Sc. Henceforth candidates having simple B.Sc. degree with Chemistry will be eligible for promotion as Chemists in the Medical Departments on the Railways other conditions will, however, remain the same.

DA:Nil.

(D.D.AGGARWAL)
Jt.Director, Estt.,
Railway Board.

*mk

भारत सरकार

रेल मंत्रालय(रेलवे बोर्ड)

सं० ई(एन०जी०)।-79 पी०एम० ।/212. नयी दिल्ली, दिनांक 7-।।-1979.

महाप्रबन्धक,

सभी भारतीय रेलें ।

विषय : चिकित्सा विभाग में सहायक केमिस्टों की 425-700 रु०(सं०वे०) के ग्रेड में केमिस्ट के पद पर पदोन्नति ।

यह पत्र रेल मंत्रालय के 24-2-1977 के पत्र सं० ई(एन०जी०)।-76-पी०एम० ।/86 के संदर्भ में है जिसके साथ बोर्ड के ।।-8-76 के पत्र की एक प्रतिलिपि भेजी गयी थी । उपर्युक्त पत्र में, केमिस्ट के पद पर भर्ती के लिए निम्नलिखित अर्हताएं निर्धारित की गयी थीं :-

"रसायन विज्ञान में आनर्स सहित विज्ञान-स्नातक या रसायन विज्ञान में विज्ञान निष्णात तथा किसी मान्यता-प्राप्त सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला में कम से कम एक वर्ष का प्रशिक्षण । उन उम्मीदवारों को वरीयता दी जायेगी जिन्हें जल, मलजल, तेल, घी और अन्य खाद्य पदार्थों के विश्लेषण का अनुभव हो ।"

केमिस्ट के पद पर काम करने के लिए उपर्युक्त अर्हताओं वाले व्यक्तियों की भर्ती के सम्बन्ध में रेलों को होने वाली कठिनाई को ध्यान में रखते हुए, रेल मंत्रालय में स्थिति की फिर से समीक्षा की गयी है और यह विनिश्चय किया गया है कि विज्ञान-स्नातक में आनर्स की उपाधि से छूट दे दी जाये । भविष्य में, रेलों पर चिकित्सा विभागों में केमिस्ट के रूप में पदोन्नति के लिए वे उम्मीदवार पात्र होंगे जो रसायन-विज्ञान में मात्र विज्ञान-स्नातक होंगे । बहरहाल, अन्य शर्तें वही रहेंगी ।

संयुक्त निदेशक, स्थापना,
रेलवे बोर्ड ।